

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित: 13 मार्च, 2014

निर्णय की तिथि : 16 अप्रैल, 2014

रि.या.(सि) 4862/2013

मेसर्स ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री मनीषा धीर के संग सुश्री गीता
शर्मा, सुश्री विनीता शशिधरन और
सुश्री मिठू जैन, अधिवक्तागण ।

बनाम

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टी.के. गंजू के
संग श्री संजय भट्ट और श्री
अभिषेक, प्र. 1 के लिए
अधिवक्तागण

कोरम:

श्री न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट

श्री न्यायमूर्ति आर.वी. ईश्वर

न्या. आर.वी. ईश्वर,

1. इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण, नई दिल्ली (इसके पश्चात एआईएफआर के रूप में संदर्भित) द्वारा 12.06.2013 को पारित आदेश के साथ ही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (इसके पश्चात बीआईएफआर के रूप में संदर्भित) द्वारा 04.10.2010 को पारित आदेश को आक्षेपित किया है। एआईएफआर द्वारा पारित आदेश बीआईएफआर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई अपील है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की धारा 15(1) के तहत दिनांक 11-05-2002 को बीआईएफआर के समक्ष एक संदर्भ दायर किया था। कंपनी को एक रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया। कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड जिसे इसके पश्चात् केएमबीएल कहा गया द्वारा बीआईएफआर के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा एसआईसीए की धारा 15(1) के तीसरे प्रावधान के तहत किए गए संदर्भ को समाप्त करने की मांग की गई है। यह आवेदन इस आधार पर दायर किया गया था कि केएमबीएल के पास याचिकाकर्ता के बकाया प्रतिभूत ऋणों के मूल्य में 3/4 से अधिक हिस्सा था और उसने वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे तत्पश्चात “सरफेसी अधिनियम” संदर्भित किया गया) कि धारा 13(4) के अंतर्गत भी कार्यवाही की थी। केएमबीएल द्वारा दायर आवेदन को बीआईएफआर द्वारा अनुमति दे दी गई थी और संदर्भ का उपशमन किया गया था।

3. याचिकाकर्ता ने बीआईएफआर द्वारा पारित आदेश को एआईएफआर के समक्ष चुनौती दी और प्रतिवाद किया :

(क) की केएमबीएल एक प्रतिभूत लेनदार नहीं है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसे ऋण का आवंटन अवैध था और इसलिए केएमबीएल को प्रतिभूत लेनदार नहीं कहा जा सकता है;

(ख) की केएमबीएल के पास याचिकाकर्ता के कुल प्रतिभूत ऋणों का 3/4 या अधिक हिस्सा नहीं है (जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 15 (1) के तीसरे परंतुक द्वारा आवश्यक है और इसलिए, भले ही याचिकाकर्ता के खिलाफ सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कुछ कार्रवाई की गई हो, संदर्भ का उपशमन नहीं हो सकता है; और

(ग) की बीआईएफआर ने 19-08-2008 को यह आदेश पारित किया कि संदर्भ का उपशमन नहीं किया जा सकता है, अतः दिनांक. 04.10.2010 को पारित अपने आदेश में इसके विपरीत निर्णय देकर अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकता था।

एआईएफआर द्वारा इन तर्कों को खारिज कर दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका के साथ इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य प्रतिविरोधों को छोड़े बिना, अपने तर्क को इस प्रश्न तक सीमित कर दिया कि क्या केएमबीएल एसआईसीए की धारा 15 (1) के तीसरे परंतुक के भीतर आता है, उक्त परंतुक द्वारा अपेक्षित मानदंड को पूरा करके अर्थात् कि यह याचिकाकर्ता को वितरित वित्तीय सहायता के खिलाफ बकाया राशि के मूल्य में 3/4 से कम नहीं होना चाहिए। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि केएमबीएल ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कार्रवाई की थी। इसने दिनांक. 07.03.2008 को सर्वेक्षण संख्या 111, प्लॉट 1-197, विश्रान्तवाड़ी, तालुका हवेली, पुणे में स्थित याचिकाकर्ता की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था; केएमबीएल द्वारा दायर आवेदन पर 19.08.2008 को पारित अपने आदेश में, बीआईएफआर ने नोट किया कि बैंक ने केवल भूमि का एक भूखंड लिया था, न कि कारखाने के परिसर को, याचिकाकर्ता के इस कथन को स्वीकार करते हुए कि एक अन्य स्थान अर्थात् वाघोली, पुणे में स्थित कारखाना, जो पिछले तीन वर्षों से बंद पड़ा था, वह अभी भी याचिकाकर्ता के कब्जे में था और केएमबीएल ने केवल जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया था, जो एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड को दिया गया था, जिसने एसबीआई को ऋण सौंपा था, जिसने बदले

में केएमबीएल को ऋण सौंपा था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए बीआईएफआर द्वारा संदर्भ में उपशमन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

5. विचार के लिए प्राथमिक प्रश्न सरफेसी अधिनियम की धारा 13(9) और एसआईसीए की धारा 15(1) के तीसरे परंतुक के बीच परस्पर क्रिया की प्रकृति है।

6. कानूनी प्रावधानों का संक्षिप्त संदर्भ दिया जा सकता है । सरफेसी अधिनियम वर्ष 2002 में लागू हुआ था। अध्याय III में “प्रतिभूति हित के प्रवर्तन” का प्रावधान किया गया है। धारा 13(1) ने न्यायालय या अधिकरण के हस्तक्षेप के बिना एक प्रतिभूत लेनदार (बैंकों सहित) के पक्ष में बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की अनुमति दी। ऐसा प्रवर्तन सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। धारा 13 की उपधारा (4) में कुछ उपायों का प्रावधान है जो प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए किए जा सकते हैं यदि उधारकर्ता विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करने में असफल रहता है। संक्षेप में, प्रतिभूत लेनदार प्रतिभूत परिसंपत्तियों पर कब्जा कर सकता है या उधारकर्ता के व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है या प्रतिभूत परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने उधारकर्ता से प्रतिभूत आस्तियां अर्जित की हैं और इस गिनती में

उधारकर्ता का कुछ धनराशि देय या बकाया है, प्रतिभूत ऋणदाता को ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि का भुगतान करने की मांग कर सकता है। धारा

13 (9) निम्नानुसार है: -

"धारा 13 (9) - एक से अधिक प्रतिभूत लेनदार द्वारा वित्तीय संपत्ति के वित्तपोषण या प्रतिभूत लेनदार द्वारा वित्तीय संपत्ति के संयुक्त वित्तपोषण के मामले में, कोई भी प्रतिभूत लेनदार उप-धारा (4) के तहत या उसके अनुसार उसे दिए गए किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि इस तरह के अधिकार के प्रयोग पर प्रतिभूत लेनदार द्वारा सहमति नहीं दी जाती है, जो एक रिकॉर्ड तिथि पर बकाया राशि के मूल्य में तीन-चौथाई से कम नहीं है और इस तरह की कार्रवाई सभी प्रतिभूत लेनदार पर बाध्यकारी होगी।"

7. एसआईसीए की धारा 15 में प्रावधान है कि किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने पर बीआईएफआर को संदर्भित किया जा सकता है। दूसरा परंतुक वर्ष 2002 में सरफेसी अधिनियम के लागू होने के बाद बीआईएफआर को कोई भी संदर्भ दिए जाने पर रोक लगाता है। तीसरा परंतुक (जिससे हमारा संबंध है) निम्नानुसार है: -

"बशर्ते कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ होने पर या उसके बाद, जहां एक संदर्भ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है, ऐसा संदर्भ

समाप्त हो जाएगा यदि प्रतिभूत लेनदार, ऐसे प्रतिभूत लेनदार के उधारकर्ता को संवितरित वित्तीय सहायता के खिलाफ बकाया राशि के मूल्य में तीन-चौथाई से कम नहीं होने का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए कोई उपाय किया है।"

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिविरोध यह है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (9), जब यह "वित्तीय परिसंपत्ति के वित्तपोषण" के संबंध में बकाया राशि को संदर्भित करता है, तो इसका अर्थ वित्तीय परिसंपत्ति के वित्तपोषण के संबंध में बकाया राशि का केवल तीन-चौथाई ही हो सकता है जबकि एसआईसीए की धारा 15(1) का तीसरा परंतुक, जब यह बकाया राशि के मूल्य में तीन-चौथाई को संदर्भित करता है, तो गणना को "ऐसे लेनदारों के उधारकर्ता को वितरित वित्तीय सहायता" पर आधारित होना अनिवार्य करता है। उनके अनुसार दो प्रावधानों के बीच अंतर है और केएमबीएल द्वारा जो पूरा किया जाना आवश्यक है, उसे सफलतापूर्वक उपशमन करने के लिए यह दिखाना है कि यह याचिकाकर्ता को वितरित वित्तीय सहायता के खिलाफ बकाया राशि के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करता है और न केवल वित्तीय परिसंपत्ति के वित्तपोषण के संदर्भ में यह तर्क रिट याचिका में भूमि "ज" में व्यक्त किया गया है। आगे यह प्रतिविरोध किया गया है कि केएमबीएल ने याचिकाकर्ता से संबंधित भूमि के एक भूखंड के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4)

में सूचीबद्ध उपाय किया है और याचिकाकर्ता की पूरी यूनिट के विरुद्ध कोई उपाय नहीं किया गया है जो अविकल है।

9. सरफेसी की धारा 13 (9) और एसआईसीए की धारा 15 (1) के तीसरे परंतुक दोनों पर पहली नजर डालने से पता चलता है कि वे अलग-अलग स्थितियों में काम करते हैं। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4), जो प्रतिभूत लेनदार को उसमें विनिर्दिष्ट कोई भी उपाय करने की अनुमति देती है, दो शर्तों के अधीन लागू होती है और ये धारा 13(9) में निर्धारित हैं। पहली शर्त यह है कि "*एक वितीय आस्ति*" को प्रतिभूत लेनदार द्वारा या तो अकेले या अन्य प्रतिभूत लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए। यदि यह एक एकल लेनदार द्वारा वित्तपोषित है, तो कोई कठिनाई नहीं होगी - वह किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ के बिना धारा 13 (4) द्वारा अनुमत उपायों में से कोई भी उपाय कर सकता है। ऐसे मामले में जहां वितीय परिसंपत्ति का वित्तपोषण एक से अधिक प्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा किया जाता है या जहां वितीय परिसंपत्ति का वित्तपोषण कई प्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, इसमें एक और शर्त यह है कि धारा 13(4) के अंतर्गत कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब ऐसी कार्रवाई करने पर बकाया राशि के मूल्य के कम से कम 3/4 भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूत लेनदारों द्वारा सहमति हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी उधारकर्ता ने किसी ऐसे बैंक द्वारा वित्तपोषण के तहत मशीनरी का अधिग्रहण किया है जिसने अधिग्रहण के लिए

50 लाख रुपये उधार दिए हैं, और किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान ने अधिग्रहण के लिए कोई पैसा अग्रिम नहीं दिया है, तो वह बैंक धारा 13 (4) के तहत स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकता है क्योंकि उसने वित्तीय संपत्ति को 100% की सीमा तक वित्तपोषित किया है। लेकिन मान लीजिए कि दो बैंकों ने उधारकर्ता को संपत्ति हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक ने 25 लाख रुपये दिए हैं, तो दोनों बैंकों में से कोई भी स्वतंत्र कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि उनमें से किसी ने भी बकाया राशि का 3/4 हिस्सा अग्रिम नहीं दिया है; उन्हें इस तरह की कार्रवाई करने के लिए एक साथ आना होगा। इसी उदाहरण को जारी रखने के लिए, यदि बैंक "क" ने 10 लाख रुपये का अग्रिम दिया है, बैंक "ख" ने 25 लाख रुपये का अग्रिम दिया है और बैंक "ग" ने 15 लाख रुपये का अग्रिम दिया है, तो धारा 13 (4) के तहत कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब कम से कम बैंक "ख" और बैंक "ग" सहमत हों या सभी तीन बैंक सहमत हों; उस स्थिति में, वे बकाया राशि के मूल्य के 3/4 वें से अधिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिभूत लेनदार द्वारा की जाने वाली अनुमत कार्रवाइयों की श्रृंखला इस मूल शर्त को पूरा करने के अधीन है। धारा 13 (4) द्वारा विचार किए गए विभिन्न "उपायों" पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि वे सभी "प्रतिभूत आस्तियों" की बात करते हैं। धारा 13(9) में निर्धारित शर्त को पूरा करने के अधीन, प्रतिभूत लेनदार "प्रतिभूत परिसंपत्तियों" का कब्जा कर सकते हैं या "प्रतिभूत परिसंपत्तियों", जिनके कब्जे में लिया गया है" का प्रबंधन करने के लिए एक प्रबंधक नियुक्त कर सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति

को, जिसने उधारकर्ता से “*प्रतिभूत आस्तियों*” में से किसी को भी अधिग्रहित किया है, उन्हें धनराशि का भुगतान करने के लिए कह सकते हैं। व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण, यदि ऐसा कदम प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया जाता है जो धारा 13 (9) में निर्धारित शर्त को पूरा करते हैं, तो केवल ऋण की सुरक्षा से संबंधित सीमा तक हो सकता है, बशर्ते व्यवसाय पृथक्करणीय हो।

10. इस प्रकार, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धाराएं (4) और (9), संयुक्त रूप से पढ़े जाने पर दर्शाता है कि उनका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि उधारकर्ता द्वारा अर्जित *प्रतिभूत परिसंपत्तियों* के वित्तपोषण के लिए अग्रिम राशि की वसूली के लिए *प्रतिभूत* लेनदारों द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। इसलिए बकाया राशि के 3/4 भाग की गणना केवल उसी राशि के आधार पर की जानी चाहिए, न कि उधारकर्ता के सम्पूर्ण बकाया ऋणों के संदर्भ में की जानी चाहिए।

11. एसआईसीए की धारा 15 का उद्देश्य पूरी तरह से भिन्न है। इसमें किसी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (समग्र रूप से) को, लेखापरीक्षित खातों को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि से एक विशेष समय-सीमा के भीतर कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर बीआईएफआर को संदर्भित करने का प्रावधान है। मूल रूप से इसमें केवल एक परंतुक था, परंतु सरफेसी अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में दो अन्य परंतुक जोड़े गए थे। हम इस प्रकार अंतस्थापित तीसरे परंतुक से सम्बद्ध हैं। इसमें बीआईएफआर के संदर्भ को

उपशमन करने का प्रावधान है, जहां प्रतिभूत लेनदारों ने ऐसे प्रतिभूत लेनदारों के उधारकर्ता को वितरित वित्तीय सहायता के विरुद्ध बकाया राशि के मूल्य में 3/4 से कम का प्रतिनिधित्व नहीं किया है, उन्होंने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) (सरफेसी अधिनियम का संदर्भ) के तहत अपने प्रतिभूत ऋण को वसूलने के लिए कोई उपाय किया है” यदि उपशमन के लिए यह शर्त वर्तमान मामले पर लागू होती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि केएमबीएल बीआईएफआर के समक्ष लंबित याचिकाकर्ता के मामले के संदर्भ के उपशमन का सफलतापूर्वक दावा कर सकता है, यदि वह याचिकाकर्ता को वितरित वित्तीय सहायता के खिलाफ बकाया राशि का कम से कम 3/4 वां हिस्सा (मूल्य में) प्रस्तुत करता है और उसने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) में उल्लिखित कोई भी उपाय किया है। केएमबीएल ने याचिकाकर्ता की भूमि के एक भूखंड पर कब्जा लेकर ऐसी कार्रवाई की है। परंतु यह जांचना भी आवश्यक है कि क्या केएमबीएल प्रतिभूत लेनदार द्वारा याचिकाकर्ता को वितरित वित्तीय सहायता के खिलाफ बकाया राशि के मूल्य में 3/4 वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि एसआईसीए की धारा 15 (1) के तीसरे परंतुक द्वारा आवश्यक है और न केवल यह जांचने के लिए कि क्या केएमबीएल ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(9) द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया है। बीआईएफआर और एआईएफआर दोनों ही इस पहलु के परिक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं हुए हैं ।

12. सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (9) "एक वितीय आस्ति" के वित्तपोषण की बात करती है, जबकि एसआईसीए की धारा 15 (1) के तीसरे परंतुक में "ऐसे प्रतिभूत लेनदार के उधारकर्ता को वितरित वितीय सहायता" की बात की गई है। संदर्भ केवल याचिकाकर्ता द्वारा सभी प्रतिभूत लेनदार से उधार ली गई कुल राशि का हो सकता है जो बकाया है और इसलिए जांच यह पता लगाने के लिए होनी चाहिए कि क्या केएमबीएल इस शर्त कि भी संतुष्टि करता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा सभी प्रतिभूत लेनदार से उधार ली गई कुल राशि के 3/4 वें मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके बाद ही यह तीसरे परंतुक के अंतर्गत आ सकता है और याचिकाकर्ता के संदर्भ का उपशमन करने के लिए बीआईएफआर को आवेदन कर सकता है। सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (9) में निर्धारित शर्त के एक प्रतिभूत लेनदार द्वारा संतुष्टि को स्वचालित रूप से एसआईसीए की धारा 15 (1) के तीसरे परंतुक में निर्धारित शर्त की संतुष्टि के रूप में नहीं लिया जा सकता है, इस सरल कारण के लिए कि दोनों स्थितियां अलग-अलग सीमा निर्धारित करती हैं।

13. सरफेसी अधिनियम की धारा 35 में अन्य कानूनों पर उस अधिनियम के प्रभाव को अधिभावी बनाने प्रावधान है जो इसके साथ असंगत हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है (न ही हमारे सामने ऐसा सुझाव दिया गया था) कि एसआईसीए समग्र रूप से सरफेसी अधिनियम के साथ असंगत है। प्रत्यर्थी का यह भी तर्क नहीं था कि धारा 15(1) का तीसरा प्रावधान सरफेसी

अधिनियम के साथ असंगत है। अन्यथा भी, यह कल्पना करना मुश्किल है कि सरफेसी अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में एसआईसीए में डाला गया एक प्रावधान स्वयं उस अधिनियम के साथ असंगत होगा; हम विधायिका को ऐसे कार्य का श्रेय नहीं दे सकते हैं जो सरफेसी की धारा 35 का उल्लंघन करता है जो पहले से ही उस अधिनियम में स्थापना के बाद से मौजूद है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(9) और एसआईसीए की धारा 15(1) का तीसरा परंतुक बिना अतिव्यापी के अलग-अलग क्षेत्रों पर संचालन करता है।

14. इसमें एक अन्य पहलू भी है। सरफेसी अधिनियम मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी भी न्यायालय या अधिकरण की सहायता के बिना ऋण की वसूली से संबंधित है। यह ऋण के प्रतिभूतिकरण की अनुमति देता है और इसका उद्देश्य गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का उपशमन करना है। एसआईसीए, जो एक पूर्व-विद्यमान विधान है, में औद्योगिक उपक्रमों के स्वामित्व वाली रुग्ण और संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने और बीआईएफआर द्वारा उपचारात्मक और सुधारात्मक उपायों का शीघ्र निर्धारण करने और ऐसे उपायों को लागू करने का प्रावधान है। हमें दोनों अधिनियमों के उपबंधों के बीच परस्पर क्रिया की जांच करते समय दोनों अधिनियमों के विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा और यदि अनुमेय

हो, तो यह मानने की तत्परता से बचना होगा कि उनके प्रावधान एक-दूसरे पर अतिव्याप्ति करते हैं या एक दूसरे को रोंदते हैं।

15. अब हम अपने समक्ष उद्धृत कुछ अधिकारियों की ओर रुख करेंगे। उनमें से कोई भी सटीक प्रश्न पर विचार के लिए नहीं आया है। *परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम शमकीन स्पिनर्स लिमिटेड (एआईआर 2011 डेल 17)* में, याचिकाकर्ता की ओर से इसका समर्थन करने के रूप में उद्धृत किया गया, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने एसआईसीए की धारा 15 (1) के तीसरे परंतुक की परीक्षण किया, परंतु यह एक अलग संदर्भ में था: क्या, दूसरे परंतुक में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, तीसरे परंतुक द्वारा निर्धारित प्रतिभूत ऋण के मूल्य के 3/4 की सीमा को दूसरे परंतुक में पढ़ा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि इस तरह की सीमा को दूसरे परंतुक में नहीं पढ़ा जाता है, तो इसका परिणाम इस स्थिति में होगा, अर्थात्, ऋण कंपनी के ऋण के एक छोटे से खरीदार एक ऋण कंपनी के पुनरुद्धार को विफल करने में सक्षम होगा, हालांकि वह सरफेसी अधिनियम के तहत इसके उपाय को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पास उस अधिनियम की धारा 13(9) द्वारा निर्धारित 75% का कट-ऑफ प्रतिशत नहीं होगा। वह एक अलग प्रश्न है, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण का समर्थन करेगा, क्योंकि यह (निर्णय) इस धारणा पर आधारित है कि

बीआईएफआर के समक्ष लंबित संदर्भ के उपशमन के लिए एक प्रतिभूत लेनदार द्वारा किए जाने वाले सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) द्वारा अनुमत किसी भी उपाय को लेने के लिए आवश्यक सीमा की तुलना में एक बड़ी सीमा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह उतना ही दूर है जितना यह जा सकता है।

केमस्टार ऑर्गेनिक्स इंडिया लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य के मामले में (17-9-2012 को निर्णित रि.या.(सि) सं. 1487/2011) इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने प्रासंगिक प्रावधानों का परिक्षण किया लेकिन फिर से एक अलग संदर्भ में; दो अधिनियमों के प्रावधानों के बीच परस्पर क्रिया, जिसके साथ हम सम्बद्ध हैं, वह वहाँ विचार का विषय नहीं था। प्रत्यर्थी की ओर से उद्धृत अल्पाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण एवं अन्य (2011) 162 कम्प. मा. 563 (डेल.) में इस न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय प्रथम दृष्टया उसे समर्थन करता प्रतीत होता है, परंतु ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है। निर्णय की अंतर्निहित धारणा यह है कि एसआईसीए की धारा 15 (1) के तीसरे परंतुक के तहत संदर्भ के उन्मूलन के लिए उपाय करने वाले प्रतिभूत लेनदार के 3/4 की आवश्यकता सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (9) के तहत प्रतिभूत लेनदार के 3/4 वें हिस्से द्वारा किए गए उपायों से स्वतंत्र नहीं है; परिणामतः, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार प्रतिभूत लेनदार द्वारा किए गए उपाय उधारकर्ता द्वारा विवादित नहीं हैं, और सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण में कोई अपील नहीं की गई थी इस आधार पर रि.या.(सि) 4862/2013

कि प्रतिभूत लेनदार बकाया राशि के मूल्य में 3/4 का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, प्रतिभूत लेनदार द्वारा किए गए उपाय पर सवाल उठाते हुए, मामला वहीं समाप्त हो गया और बीआईएफआर द्वारा स्वतंत्र रूप से परिक्षण नहीं किया जा सका। यह निर्णय इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकार नहीं है कि क्या एसआईसीए की धारा 15(1) के तीसरे प्रावधान और एसएआरएफआईएसआई अधिनियम की धारा 13(9) द्वारा निर्धारित सीमाएँ समान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्न मौन रूप से पारित किया गया है। यह वह प्रश्न है जो याचिकाकर्ता की ओर से हमारे समक्ष आग्रहित किया गया है, जिसमें हम गुणागुण पाते हैं। एक बार जब यह अभिनिर्धारित कर दिया जाता है कि प्रावधानों के दो सेटों में सीमाएँ काफी भिन्न हैं, तो इस तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है कि यह बीआईएफआर/एआईएफआर के परिक्षण लिए खुला होगा कि क्या एसआईसीए की धारा 15(1) के तीसरे प्रावधान की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। वे प्राधिकारी एक ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेंगे जो उचित रूप से उनके अधिकारिता में आता है।

16. प्राधिकरण के अतिरिक्त, हमें यह प्रतीत होता है कि यह अभिनिर्धारित करना असंगत होगा कि एक प्रतिभूत लेनदार या प्रतिभूत लेनदारों का समूह जो वित्तीय परिसंपत्ति " के संबंध में वित्तीय सहायता के मूल्य का 3/4 हिस्सा दर्शाता है, और इस प्रकार किसी अधिकरण या न्यायालय का सहारा लिए बिना उधारकर्ता से ऋण वसूल करने के हकदार हैं और सरफेसी अधिनियम की धारा

13(4) द्वारा ऋण वसूलने के लिए कोई भी उपाय करके एसआईसीए की धारा 15(1) के तीसरे परंतुक की अधिक कठोर आवश्यकता को पूरा किए बिना बीआईएफआर के समक्ष लंबित संदर्भ का उपशमन करने की मांग करके एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी के पुनरुद्धार को भी बाधित कर सकते हैं। पहले दिए गए उदाहरण को जारी रखते हुए, यदि उधारकर्ता द्वारा प्रतिभूत लेनदार को देय कुल ऋण 100 करोड़ रुपये है, और यदि प्रत्यर्थी का प्रतिविरोध सही है, तो बैंक "ख " और बैंक "ग" जिन्होंने मशीनरी के लिए 40 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया है वे न केवल सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण की वसूली के लिए कदम उठा सकते हैं, बल्कि बीआईएफआर के समक्ष लंबित संदर्भ का उपशमन करने के लिए भी सफलतापूर्वक अनुरोध कर सकते हैं, हालांकि वे एसआईसीए की धारा 15 (1) के तीसरे परंतुक द्वारा निर्धारित 75 करोड़ रुपये की सीमा से कम हैं। यदि कोई यह समझने में विफल रहता है कि यदि प्रत्यर्थी की ओर से इस तरह की व्याख्या को स्वीकार किया जाता है तो क्या उद्देश्य पूरा होगा।

17. यह प्रश्न कि क्या एसआईसीए की धारा 15 (1) के तीसरे परंतुक द्वारा निर्धारित सीमा / शर्तें संतुष्ट हैं, आवश्यक रूप से याचिकाकर्ता के खातों या किसी अन्य प्रासंगिक सामग्री द्वारा परिलक्षित आंकड़ों पर आधारित है। यह एक एसी प्रक्रिया है जिसे केवल बीआईएफआर द्वारा ही शुरू किया जा सकता है। इसलिए बीआईएफआर और एआईएफआर के आदेशों को अपास्त करते हुए,

हम पक्षकारों को उनके संबंधित मामले और लेखाओं तथा अन्य सभी संगत सामग्री को अभिलिखित करने के लिए उचित और यथोचित अवसर देने के बाद निर्णय के लिए मामले को बीआईएफआर के पास प्रत्यावर्तित करते हैं। इसमें दोनों पक्षों के लिए अन्य सभी प्रतिविरोधों और तर्कों को उठाने की स्वतंत्रता होगी (जिसके गुणागुणों पर हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं) जिस पर बीआईएफआर द्वारा विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। यह समीचीन होगा कि बीआईएफआर द्वारा आज से चार महीने के भीतर निर्णय प्रदान किया जाए।

18. रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के अनुसार लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है

(आर.वी. ईश्वर)

न्यायाधीश

(एस. रवींद्र भट)

न्यायाधीश

16,अप्रैल, 2014 एचएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।